

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 194/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री छीतर मल बैरवा पुत्र श्री भूराराम बैरवा
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री छीतर मल बैरवा
3. श्री दीनदयाल बैरवा पुत्र श्री छीतर मल बैरवा

निवासी:-प्लॉट नम्बर 264, मैन बाजार हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

4. श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा

निवासी:-प्लॉट नम्बर 182, बैरवा मोहल्ला, हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 18.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.08.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री छीतर पुत्र श्री भूरा बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 09, ग्राम व ग्राम पंचायत हरसौली, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 103.11 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता महावीर प्रसाद कंस्वा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।
3. उभयपक्षों के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

तह
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

